न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 160/2017/75 एलआर एक्ट

1. निर्मला देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट निवासी चक 9 एस पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. अजय कुमार पुत्र श्री उदमीराम जाति जाट उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली निर्मला देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट निवासी चक 9 एस पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रियंका पुत्री श्री उदमीराम जाति जाट उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली निर्मला देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट निवासी चक 9 एस पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. सपना पुत्री उदमीराम जाति जाट उम्र 8 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली निर्मला देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट निवासी चक 9 एस पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सुनीता पुत्री उदमीराम जाति जाट उम्र 6 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली निर्मला देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट निवासी चक 9 एस पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

————अपीलान्टस

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. जेठाराम पुत्र श्री चेतराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. बलदेव पुत्र श्री हंसराज जाति अरोड़ा निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. सतीश पुत्र श्री चिमनलाल जाति अरोड़ा निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. कलवन्त पुत्र हंसराज जाति अरोड़ा निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. सुरेन्द्र पुत्र श्री हंसराज जाति अरोड़ा निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

7. श्योकरण पुत्र श्री कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. बृजलाल पुत्र श्री ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. गोविन्द राम पुत्र श्री चेतराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. रामप्रताप पुत्र श्री चेतराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. रामेश्वर लाल पुत्र श्री चेतराम जाति मेघवाल निवासी खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

————रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.05.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 72/2015 बअनवानी धन्नाराम आदि बनाम निर्मला देवी आदि

उपस्थितः—

श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4,

श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5,6,8 ता 11

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक 26.04.2018

1. प्रकरण में सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पेश कर अपनी खातेदारी भूमि के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकत करने हेतू अनुतोष चाहा जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना—पत्र रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया पत्रावली में पेशी दिनांक 07.07.2017 मुकर्र थी जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2017 को पारित किया गया है स्वीकृत किये गये रास्ते चक 2 के डी एम के प0 न0 9/58 के किला न0 1,10,11,20,21

में पश्चिमी तरफ की भूमि पर मौका पर अपीलान्ट की फसल काश्त है यहां से रास्ता कभी चालू नहीं रहा अधिनस्थ न्यायालय ने जबाब की अनदेखी की प्रश्नगत रास्ता ना तो सुलभ है ना ही कभी चालू रहा है। पत्रावली कैम्प न्याय आपके द्वार में बिना किसी अपीलान्ट को सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि में आवागमन हेतू अन्य रास्ता भी मौजूद है। विचारण न्यायालय ने कतई गलत रूप से आदेश पारित किया होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने के कथन किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5,6,8 ता 11 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टस को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतू रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण रास्ता स्वीकृति बाबत् अधिनस्थ न्यायालय में रास्ता स्वीकृति बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो विधि अनुसार स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5,6,8 ता 11 ने अधिनस्थ न्यायालय में रास्ता स्वीकृति के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जानें की सहमति प्रदान की है एवं अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर तहसीलदार को मौका कमीश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं दिनांक 24.05.2017 हेतू कैम्प कोर्ट अटल सेवा केंन्द्र भैरूसरी बाबत् नोटिस अपीलान्ट के अधिवक्ता को तामिल करवाकर निर्णय पारित किया गया है तथा अन्य कोई रास्ता नही होने के कारण प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है जो सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व अपील पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का लोक अदालत कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कैम्प कोर्ट का स्थान अटल सेवा केन्द्र भैरूसरी में दिनांक 24.05.2017 को उपस्थिति हेतू दिनांक 28.04.2017 को नोटिस जारी किये गये है, इस नोटिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता जी0 एस0 वर्मा के हस्ताक्षर है इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पहले अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई है जहां तक अपील प्रकरण में गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने मौका कमीश्नर रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर ही विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट मौका की प्राप्त की है जो मय नक्शा पत्रावली में सलंग्न है जिसमें स्वयं तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.04.2017 को

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

फर्द मौका में यह अंकन किया है कि मु0 न0 111 किला न0 1,10,11,20,21 में पहले रास्ता चालू था परन्तु वर्तमान में मौका पर रास्ता नहीं है सलंग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प0 न0 9/58 के मु0 न0 111 के उत्तर की तरफ मु0 न0 83, 68, 49 में प्रत्येक के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृतशुदा है एवं मु0 न0 111 के दक्षिणी तरफ स्थित मु0 न0 126 व 153 में भी प्रत्येक में किला न0 1,10,11,20,21 में रास्ता दर्शित किया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त रास्ता काश्तकारो की अत्यांतिक आवश्यकता को देखते हुए मु0 न0 111 के किला न0 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता मंजुर किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 सतीश की प0 न0 9/49 के मु0 न0 82 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 16 ता 20 में खातेदारी भूमि स्थित है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 5, 6 की प0 न0 9/50 के मु0 न0 112 के किला न0 1 ता 14 में भूमि स्थित है इस भूमि के पूर्वी तरफ स्थित मु0 न0 111 में से प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जो अत्यान्तिक आवश्यकता के फलस्वरूप रास्ता मंजुर किया जाना दर्शित होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मजमेआम में रिपोर्ट तहसील प्राप्त करते हुए में पारित किया है। अपील मीमो में अन्य कोई ऐसा आधार नहीं है जिससे अपीलाधीन निर्णय को परिवर्तित किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने के कारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2017 पुष्ट किये जाने योग्य होने के कारण अपीलाधीन निर्णय 24.05.2017 यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ